मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना
शिविर-2017

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– एफ48 / वसुली(पश्चिम) / 2017 / दिनांक :–

–:: कार्यालय आदेश ::–

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 156, सेक्टर–जी, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर, श्री जितिन जांगिड पुत्र श्री विजय जांगीड को आवंटित किया गया था । उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 162 वर्गमीटर है । जिसकी लीजडीड दिनांक 09.05.2010 को श्री जितिन जांगिड पुत्र श्री विजय जांगीड के नाम प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी । उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर है। आवंटी श्री जितिन जांगिड पुत्र श्री विजय जांगीड ने अपना आम मुख्त्यार श्री ओमप्रकाश ओझा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जी, को दिनांक 19.02.2011 को नियुक्त कर दिया आम मुख्त्यार नामा नोटेरी सुदा है। आवंटी श्री जितिन जांगिड पुत्र श्री विजय जांगीड ने कार्यालय से बैचान अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्त्यार श्री ओमप्रकाश ओझा पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जी के द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्ट्रर्ड बेचान श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नी श्री ओम प्रकाश ओझा को दिनांक 24.03.2017 को जरिये रजिस्ट्रर्ड / पंजिकृत बैचान कर दिया । क्रेता श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नी श्री ओम प्रकाश ओझा ने उक्त भूखण्ड को अपने नाम हस्तांतरित करने की मांग की है।

क्रेता श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नि श्री ओमप्रकाश ओझा ने उक्त भूखण्ड को अपने नाम हस्तांतरित करने की मांग की है।

इस सम्बन्ध में आम सूचना का प्रकाशन दैनिक नवज्योति में दिनांक 24.05.2017 को करवाया गया। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार का उजर एतराज प्राप्त नहीं हुआ।

क्रेता श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नि श्री ओमप्रकाश ओझा द्वारा भूखण्ड की हस्तान्तरण राशि 39,313 / – चालान संख्या 3363 दिनांक 16.06.2017 को प्राधिकरण कोष में राशि जमा करा दी है ।

आवेदक श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नि श्री ओमप्रकाश ओझा द्वारा सत्याप्रति पेश कर भूखण्ड संख्या 156, सेक्टर–जी राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर का अपने नाम हस्तानान्तरण करने की मांग की है।

अतः श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नि श्री ओमप्रकाश ओझा के नाम भूखण्ड संख्या 156, सेक्टर–जी राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर एतद्द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है। प्रथम आवंटी पर लागू सभी शर्तें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के सहित श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नि श्री ओमप्रकाश ओझा पर भी लागू होगी । नगरिय लीज राशि 6885 / – के स्थान पर 25 प्रतिशत बढोतरी करते हुए 8606 / – रूपये वार्षिक जमा होंगे।

स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद होने पर यह हस्तान्तरण आदेश स्वतः शून्य प्रभावी होगा। अभिलेख में आवश्यक संशोधन कर लिया जावें ।

उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– एफ48 / वसुली(पश्चिम) / 2017 / 656 दिनांक :– 16/6/17

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी अधिकारी, लीज वसूली शाखा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. श्री जितिन जांगिड पुत्र श्री विजय जांगिड
3. श्रीमति आनन्द कान्ता ओझा पत्नि श्री ओमप्रकाश ओझा, निवासी– ए 72, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार योजना, जोधपुर।
4. कनिष्ट अभियन्ता राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा क्षेत्र को भेजकर लेख है कि मौके पर यदि विपरित परिस्थिति पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही करे।
5. NIC CELL जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर । For uploading.
6. रक्षित पत्रावली ।

16/6/17
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर